

दिनांक हुक्मशा कार्यवाही मय इनिशियल जज नम्बर व तारीख अदालत जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए

२७/११/२५

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त नकारा में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक १६/१२/२५ को पेश हो।

[Signature]
आदेश से रीट

१६/१२/२५

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त नकारा में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक १०/११/२५ को पेश हो।

[Signature]
आदेश से रीट

१०/११/२५

पत्रावली पेश हुई। वादी- शर्तेवादी (उपस्थित) वादी अधि-
कार दिनांक ६/११/२५ को प्रस्तुत शर्तना पत्र आदेश २३
नियम १ जा. दीवानी एवं धारा- १५१ जा. दीवानी शर्तना
पत्र प्रस्तुत किया गया। शर्तेवादी आधीवक्ता द्वारा शर्तना
पत्र आदेश २३ नियम १ जा. दीवानी का शर्तना पत्र स्वीकार
करने में अनापत्ति। सहकारी व्यवस्था की गई। अतः वादी
आधीवक्ता द्वारा प्रस्तुत शर्तना पत्र आदेश २३ नियम १ जा.
दीवानी स्वीकार किया जाता है।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा
८८, ८९, ९२(क), १८८ राजस्थान काश्तकारी आधीनियम
को वादी शर्तेवादी द्वारा प्रस्तुत शर्तना पत्र आदेश २३ नियम
१ जा. दीवानी स्वीकार करने से वाद ~~विहीन~~ विहीन करने
की स्वीकृति प्रदान की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय
में सुनाया गया। डिक्टेशन जारी हो।

पत्रावली फैसल कुमार लोक न्यायालय
दफ्तर ही तथा नम्बर से कम हो।

[Signature]
१०/११/२५
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

- पीठासीन अधिकारी—अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.
1. देवबक्ष पिता नन्दराम जाति खारोल आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. किशन पिता नन्दराम जाति खारोल आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

बनाम

वादीगण

1. गोपालकृष्ण पिता जानकीलाल जाति महाजन आयु वयस्क निवासी बड़े मन्दिर के पास, पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. गोविन्द कुमार पिता जानकीलाल
3. ओमप्रकाश पिता स्व0 प्रहलाद जाति महाजन आयु वयस्क निवासी बड़े मन्दिर के पास, पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. विष्णुकुमार पिता स्व0 प्रहलाद जाति महाजन आयु वयस्क निवासी बड़े मन्दिर के पास, पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. श्रीराम पिता स्व0 प्रहलाद जाति महाजन आयु वयस्क निवासी बड़े मन्दिर के पास, पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. कौशल्या देवी पुत्री स्व0 प्रहलाद जाति महाजन आयु वयस्क निवासी बड़े मन्दिर के पास, पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
7. कृष्णा पुत्री प्रहलाद प्रहलाद जाति महाजन आयु वयस्क निवासी बड़े मन्दिर के पास, पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
9. उप पंजीयक, भीलवाड़ा प्रथम व द्वितीय

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

बाबत घौषणा, इन्द्राज दुरस्थी व स्थाई निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 29/2023 राजस्व वाद

वादीगण एवं वादी अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार सेन उपस्थित – इस वाद में आज तारीख 10.01.2025 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है—

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 जाब्ला दीवानी स्वीकार करने से वाद विद्धो करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

10/1/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा
भीलवाड़ा